

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :- 01/2021

रजिस्ट्रेशन नं0 :- 2021/401

बउनवान

- 1- दीपिका पारेता आयु 42 वर्ष पत्नी संजय पारेता जाति कलाल निवासी हरनावदाशाहजी हाल सरपंच ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबडौद जिला बारों
- 2- देवलाल नागर आयु 50 वर्ष पुत्र धन्ना लाल नागर जाति धाकड निवासी ग्राम ढोलम तहसील छीपाबडौद हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबडौद जिला बारों

(निगराकार)

बनाम

दानमल लोधा पुत्र श्री गोपी लाल जाति लोधा निवासी हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबडौद जिला बारों

(गैरनिगराकार)

निगरानी अन्तर्गत धारा 92-97 पंचायती राज अधिनियम 1994

- उपस्थित :- 1- श्री चन्द्र प्रकाश मीणा अभिभाषक (निगराकार)
2- श्री गजेन्द्र कुमार पंचौली अभिभाषक (गैरनिगराकार)

निर्णय दिनांक 14.07.2022

राजस्थान सरकार जरिये पेरकार सरकार श्री चन्द्र प्रकाश मीणा अभिभाषक जिला बारों द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 92-97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी के संकल्प संख्या 14 दिनांक 05.12.2014 की अनुपालना मे दिनांक 09.12.2014 को गैरनिगराकार के नाम से भूमि का पट्टा संख्या 17 जारी किया गया है जिसका माप 60 x 60 वर्गगज है जिससे अप्रसन्न होकर निगरानी विरुद्ध गैर-निगराकार के इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत निगरानी दिनांक 08.12.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर-निगराकार को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ सचिव ग्राम पंचायत, हरनावदाशाहजी से मूल रिकार्ड तलब किया गया जो उनके पत्रांक 189 दिनांक 24.01.2022 से इस न्यायालय मे प्राप्त हुआ। गैर-निगराकार द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

निगराकार के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत निगरानी मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि

1. गैरनिगराकार ने दिनांक 01.12.2014 को ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूखण्ड माप माप 60 x 60 = 3600 वर्गफीट का पट्टा जारी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिस पर दिनांक 09.12.2012 को ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी द्वारा गैरनिगराकार को भूखण्ड माप 60 x 60 = 3600 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया। जिसकी बुक नं0 85 रसीद संख्या 16 दिनांक 21.12.2014 को मात्र 200/- रुपये शुल्क लेकर जारी किया गया है।

2. यह कि दिनांक 01.02.2018 को सहायक लेखा अधिकारी जांच दल द्वारा उक्त पत्रावली की जांच करने पर निधि अंकेक्षण विभाग कोटा के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2012-17/709 दिनांक 01.12.2018 द्वारा उक्त भूमि का पट्टा मापदण्डों के अन्तर्गत ना जारी कर अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी करने की पुष्टि सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी को निर्देशित करने पर ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी द्वारा उक्त पट्टा की जांच करवाने पर निर्धारित मापदण्ड नियम 157 (11) के तहत केवल 300 वर्गगज तक पट्टा जारी करने का प्रावधान है। किन्तु गैरनिगराकार को अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी किया गया जिसकी अलग से डी0एल0सी0 दल जारी किये जाने का प्रावधान है क्योंकि नियम 2004 के नियम 58 के ख 3 (क) के अन्तर्गत डी0एल0सी0 दर से 25 प्रतिशत राशि वसूल करने योग्य है। इस बाबत ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी द्वारा गैरनिगराकार को समय-समय पर नोटिस जारी किये गये जिनका कोई जवाब नहीं दिया एवं दिनांक 19.11.2021 को ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी की मीटिंग कार्यवाही के समय उपस्थित होने पर अवगत कराया कि आपकी तरफ कानूनी रूप से अधिक भूमि का पट्टा जारी करवाने के बारे में ऑडिट वसूली राशि 69,750/- रुपये जमा कराओ। वहाँ गैरनिगराकार भी उपस्थित था। जिसने उक्त राशि जमा करवाने से साफ मना कर दिया। इस कारण उक्त पट्टा दिनांक 05.12.2014 को निरस्त किया जाना विधि संगत एवं न्यायहित में होगा।
3. गैरनिगराकार द्वारा उक्त पट्टे का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है क्योंकि वर्ष 2016 के पूर्व के जारी पट्टे नवीनीकरण करवाना जरूरी था जो नहीं करवाया गया है। इसलिये गैरनिगराकार से बकाया राशि 69,750/-रुपये जमा करवाया जाना आवश्यक है या पट्टा निरस्त किया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है।
4. ग्राम पंचायत की कार्यवाही बैठक दिनांक 19.11.2021 को सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पट्टाधारी से उक्त राशि वसूलने योग्य है। उक्त राशि जमा नहीं करवाने पर पट्टा निरस्त हेतु ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.11.2021 को विकास अधिकारी पंचायत समिति, छीपाबडौद द्वारा ग्राम पंचायत को पत्र लिखकर पट्टा निरस्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया जिसके बाद दिनांक 22.11.2021 को विकास अधिकारी पंचायत समिति, छीपाबडौद द्वारा वित्तीय सलाहकार पंचायती राज जयपुर को भी पत्र प्रेषित किया गया जिसमें भी पट्टा निरस्त करने हेतु कार्यवाही पेश करने का अनुरोध किया गया। इसलिए गैरनिगराकार द्वारा उक्त आबादी भूमि का पट्टा ना तो नवीनीकरण करवाया गया है और ना ही उक्त बकाया राशि जमा करवायी है। ऐसी स्थिति में गैरनिगराकार के नाम जारी पट्टा निरस्त किया जाना विधि संगत एवं न्यायहित में होगा।
5. यह निगरानी कानून में निहित प्रावधान के तहत प्रस्तुत है इस कारण निगरानी को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है।
6. यह कि पट्टा जारी दिनांक 05.12.2014 से ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी द्वारा पंचायती राज जयपुर में दस्तावेज क्रमांक 5005-10 दिनांक 18.11.2021 की पालना में ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी पंचायत छीपाबडौद द्वारा दिनांक 24.11.2021 को मुख्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत करने तक का समय निगरानी में मुजरा किये जाने पर निगरानी अवधि मध्य पेश है।

अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि गैरनिगराकार श्री दानमल लोधा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 05.12.2014 निरस्त किये जाने का आदेश पारित करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

गैरनिगराकार के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि निगरानी की मद नं० 1 स्वीकार है, परन्तु निगराकार ने निगरानी के साथ आवंटन प्रक्रिया की पट्टा जारी की आदेशिका का रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी श्रवण किये जाने योग्य नहीं है।

यह कि निगरानी की मद नं० 2 कानूनी है, जिससे वैधानिक प्रावधानों की पालना का दायित्व निगराकार पर था, उसके लिए गैर निगराकार को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। यह कि निगरानी की मद नं० 3 अस्वीकार है, क्योंकि नवीनीकरण बाबत निगराकार ने अभी तक कोई नोटिस गैर निगराकार को जारी नहीं किया है। यह कि निगरानी की मद नं० 4 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है, क्योंकि आवंटन के सात वर्ष बाद निगराकार द्वारा कोई निर्णय किया गया है तो प्रभावशून्य है एवं उस रिकार्ड की प्रति माननीय न्यायालय में निगरानी के साथ पेश होने पर ही जवाब दिया जाना संभव है। वैसे भी गैर निगराकार का पट्टा जारी करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 09.12.2012 का था, भूखण्ड पर निर्माण हो गया है। यह कि निगरानी की मद नं० 5 व 6 अस्वीकार है। यह कि निगरानी की मद नं० 7 कानूनी है। यह कि निगरानी की मद नं० 8 औपचारिक है।

यह कि निगराकार द्वारा निगरानी में वर्णित तथ्यों के आधार पर न्यायालय श्रीमान को निगरानी को श्रवण करने का एवं पट्टा निरस्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं है, जिससे निगरानी को निरस्त करना विधिक संगत एवं न्याय हित में होगा। पंचायत एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही एवं ऑडिट निरीक्षण के आधार पर जारी आदेशों व निर्देशों की पालना की कार्यवाही एक साथ करना विधि संगत नहीं है क्योंकि दोनों कार्यवाही अलग-अलग हैं। वर्ष 2014 में जारी पट्टे को निर्माण स्वीकृति जारी करने के बाद स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा बिना आधार निरस्त करने की कार्यवाही 7 वर्ष बाद माननीय न्यायालय जरिये निगरानी पेश करना बाधित है। इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी को निरस्त करना विधि संगत होगा क्योंकि आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य जारी है। निगराकार कौनसे प्रावधान में आये है, ग्राम पंचायत अपने आदेश के विरुद्ध अपील में कैसे आ सकती है ? प्रकरण ऑडिट द्वारा निकाली गई राशि वसूली का है इसके लिये पी.डी.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही की जानी चाहिये थी। उक्त भूमि पर एम.एल.ए. कोटे से निर्माण कार्य कर दिया है जिसकी स्वीकृति ली गई है। प्रकरण समय सीमा से बाहर प्रस्तुत किया गया है। निरीक्षण में सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है। प्रकरण में ग्राम पंचायत को यह पता नहीं है कि 157/11 के तहत 300 वर्गगज तक का ही पट्टा जारी करने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत द्वारा गैरनिगराकार को पैसा जमा करवाये जाने हेतु आदिनांक तक नोटिस जारी नहीं किया गया। इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी को निरस्त करना विधि संगत होगा क्योंकि आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य जारी है। अतः इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबडौद से प्राप्त मूल रिकार्ड पट्टा विलेख, प्रस्ताव रजिस्टर, ऑडिट रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया गया।

परिणामस्वरूप निगराकार द्वारा गैरनिगराकार के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। गैरनिगराकार यदि निधि अंकेक्षण विभाग कोटा द्वारा ऑडिट रिपोर्ट में निकाली गई वसूली राशि 69,750/- रुपये इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक से अन्दर एक माह (30 दिन) में ग्राम पंचायतहरनावदाशाहजी में जमा करवाई जाकर रसीद प्राप्त कर लेता है, तो ग्राम पंचायत द्वारा गैरनिगराकार दानमल लोधा पुत्र गोपीलाल जाति लोधा निवासी हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबडौद के नाम जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 09.12.2014 माप 60 X 60 = 3600 वर्गगज यथावत रहेगा। यदि गैरनिगराकार द्वारा ऑडिट रिपोर्ट में निकाली गई वसूली राशि उक्त अवधि में जमा नहीं करवाई जाती है, तो ग्राम पंचायत द्वारा गैरनिगराकार के नाम जारी पट्टा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **14.07.2022** को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति० जिला कलक्टर
बारों